



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 13476/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 25/02/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.02.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
3. प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल	—	सदस्य
4. प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
7. प्रो. अंजनी कुमार शुक्ल	—	सदस्य
8. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
10. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

## कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।  
**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।  
**निर्णय :** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 9,24,550.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
**निर्णय :** छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रुपए 9,24,550.00 (रुपए नौ लाख चौबीस हजार पांच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
05. सत्र 2009-10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रू. 6,58,660.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
**निर्णय :** सत्र 2009-10 में मुद्रित कोरी उत्तरपुस्तिका का मुद्रण का शेष देयक राशि रुपए 6,58,660.00 (रुपए छह लाख अठावन हजार छह सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

07. वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत किया गया।

08. नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. रॉबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु स्वीकृत राशि रु. 208055=00 का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. राबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु प्रस्तावित देय राशि रुपए 208055.00 (रुपए दो लाख आठ हजार पचपन मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यदेश जारी के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स, Key Computers Nagpur को DPC/CPC की अनुशंसा अनुसार एक वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग, नेटवर्क सही नहीं चलने पर रिकार्ड संधारित करेंगे और उनके द्वारा सूचना देने पर संबंधित संस्थान की राशि में कटौती करके भुगतान की जावेगी। इसकी जानकारी अनुबंध में भी शामिल किया जाय।

10. भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भिलाई मैत्री महाविद्यालय रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया।



पूरक सूची :

01. विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
03. मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार) भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय : मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम की प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000.00 (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा पूर्व अग्रिम का हिसाब जमा नहीं किया है, उन से 15 दिवस के अंदर हिसाब जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे। इसी प्रकार जिन शासकीय महाविद्यालयों ने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है, उसके संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखते हुए इसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को दी जावे।
04. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्य डिपाजिट के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने हेतु लोक निर्माण विभाग को कुल लागत राशि का 33% भुगतान किया जावे।
05. डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन, कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि 7,64,270.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. इंदु अनंत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि रुपए 7,64,270.00 (रुपए सात लाख चौसठ हजार दो सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
06. 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रु. 2589627/- के भुगतान करने पर विचार करना।  
निर्णय : 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के कयार्थ अग्रिम चंदा राशि रुपए 25,89,627.00 (रुपए पच्चीस लाख नवासी हजार छह सौ सत्ताईस मात्र) के भुगतान करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।





07. विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर्स की राशि रूप 26,73,636.00 (रूप छब्बीस लाख तिहत्तर हजार छह सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक राशि रूप 76,64,800.00 (रूप छिहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

09. कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में विचार करना।

**निर्णय :** कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के फलस्वरूप इसी निरंतरता में अंतिम रूप से एक वर्ष के लिए धारणाधिकार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

10. अंकक्षण प्रतिवेदन 2008-09 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** अंकक्षण प्रतिवेदन 2008-09 के अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।

11. वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त 33 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायी करण के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** वर्ष 2004-09 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरणों में समस्त पहलुओं पर परीक्षण कर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही किया जावे।

12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना" संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :** पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा योजना संबंधी प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बीमा कंपनियों से benefit के संबंध में जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्यवाही किया जावे।





13. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. रेखा जाधव के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. विश्वविद्यालय परिसर में पुरुष छात्रावास के निर्माण के लिए पावर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना, द्वारा मौखिक सहमति के उपरान्त उन्हें विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्रमांक 148/कु.स./2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 एवं पत्र क्रमांक 155/कु.स./2014 दिनांक 14 फरवरी, 2014 के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि संबंधित संस्थान ने छात्रावास का नाम "पावर ग्रिड" रखना चाहता है एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में पढ़ने वाल पावर ग्रिड के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2014 के परीक्षा के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
3. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से तीन पालियों में 120 केन्द्रों पर संचालित होने की जानकारी दी गई। वार्षिक परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मई तक संपन्न होगी।
4. विश्वविद्यालय परिसर में जलस्तर की वृद्धि के लिए तालाब निर्माण किया जावे।
5. कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ. अमिता सहगल एवं डॉ. सी.एल. पटेल का कार्यपरिषद की ओर से कुलसचिव जी ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद सदस्य डॉ. दीपक कारकून एवं डॉ. अरविंद गिरोलकर को कार्यपरिषद सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 13477/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 25/02/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)